

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड**

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3210-औसं-17/पाकालि/2021-11(1)ए०एस०/09(20)

दिनांक: 22 अक्टूबर, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 30.04.2022 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्ववत् कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन मान्यता सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1640-औसं/2020-11(1)ए०एस०/09(20) दिनांक 29.06.2020 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य आदेशों के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1214/पाँच-6-2021 दिनांक 28.04.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त निजी/नर्सिंग होम आदि के रजिस्ट्रेशन के नवीनकरण की समय-सीमा दिनांक 31.07.2021 तक बढ़ाये जाने के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन के आदेश सं०-1501-औसं-17/पाकालि/2021 दिनांक 15.06.2021 द्वारा 108 चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता दिनांक 31.07.2021 तक बढ़ाये जाने के अनुक्रम में प्राप्त वांछित सूचना के आधार पर निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता दिनांक 31.07.2021 के उपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.08.2021 से 30.04.2022 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
लखनऊ 1	चन्द्रा मंदर एण्ड आई केयर प्रा०लि०, 4/43 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	30.04.2022
2	चरक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ।	30.04.2022
नोयडा 3	जे०पी० हॉस्पिटल, जे०पी० हेल्थ केयर्स लिमिटेड, सेक्टर-128, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)	30.04.2022
4	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेण्टर, प्लॉट नं०-एन०एच०-32, एच०ओ०-1, सेक्टर-औमेगा-1, ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)।	30.04.2022
5	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, प्लॉट नं०-एन०एच०-1, सेक्टर-110, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)।	30.04.2022
कानपुर 6	फार्च्यून हॉस्पिटल, 117/क्यू/40-ए, शारदानगर, कानपुर।	30.04.2022

- उक्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेगी एवं निर्धारित दरों से अधिक चार्ज करने पर चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का अधिकार कारपोरेशन प्रबन्धन को होगा। चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनके द्वारा प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।

क्रमशः 2...../-

2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

संलग्नक :- यथोपरि।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-3210-(1) औसं-17/पाकालि/2021-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical/E-Book पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।


 (नवनीत माथुर) 22-10-24
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी